

न्यायालय न्यायनियर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी
मुकदमा नम्बर : 25/2023

श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह, मै0 चौधरी जनरल स्टोर, मैन मार्केट, मुकुन्दगढ मण्डी, तहसील नवलगढ,
जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011
उपस्थिति:-

1. आवेदक की ओर सेआवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर सेअनावेदक स्वयं।


-निर्णय-

दिनांक : 28.08..2023

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो संक्षेप में निम्न प्रकार है :- कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आवंटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 15.02.2023 को मैसर्स चौधरी जनरल स्टोर, मैन मार्केट, मुकुन्दगढ मण्डी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री मनोज कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनावेदक ने खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान पर एक प्लास्टिक के कट्टे में 30 पॉलीपैक नमकीन (कैलाश) खाद्य प्रदार्थ आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ पॉलीपैक नमकीन (कैलाश) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंगन कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर



अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी मैन मार्केट, मुकुन्दगढ मण्डी, झुंझुनू में मै० चौधरी जनरल स्टोर के नाम से दुकान है जहां वह पॉलीपैक नमकीन (कैलाश) का बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ पॉलीपैक नमकीन (कैलाश) का सैम्पल लिया गया था जिस पर लेबलिंग की वजह से बैच नम्बर नहीं लिखा गया था। उसकी दुकान से लिए गये सैम्पल में खाद्य सामग्री मानकों के अनुरूप ही थी। अतः उसके विरुद्ध कम से कम जुर्माना लगाया जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./355/एक्ट/2023/499 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ पॉलीपैक नमकीन (कैलाश) मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food) पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा नियम की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii), 3(1)(zf)(C)(i) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै० चौधरी जनरल स्टोर, मैन मार्केट, मुकुन्दगढ मण्डी में खाद्य पदार्थ पॉलीपैक नमकीन (कैलाश) बेचान करता है एवं खाद्य पदार्थ किसी फर्म से खरीद का बिल प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पॉलीपैक नमकीन (कैलाश) के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food) पाया जाने आने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री मनोज कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, मै० चौधरी जनरल स्टोर, मैन मार्केट, मुकुन्दगढ मण्डी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 10,000/- दस हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 अतिरिक्त जिला कलक्टर,
 झुंझुनू